शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त, निगम की बड़ी कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन–2 वैशाली नगर क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपेश कुमार नथवानी द्वारा अपने 650 वर्गफीट रजिस्ट्री क्षेत्रफल के अतिरिक्त शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था। इस संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन को जिला नियमितीकरण समिति एवं आयुक्त राजस्व संभाग स्तर पर निरस्त कर दिया गया था। निगम के जोन–2 वैशाली नगर राजस्व विभाग द्वारा संबंधित निर्माणकर्ता को कई बार नोटिस जारी कर रजिस्ट्री क्षेत्र से अतिरिक्त शासकीय भूमि पर किए गए निर्माण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही समय–समय पर निगम को इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद 9 जून 2026, मंगलवार को जोन–2 वैशाली नगर के राजस्व विभाग, बेदखली विभाग तथा पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।